विकास योजना के अन्तर्गत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं को पोषक आहार दिलाने में किया जाता है।

5. **मध्यान्ह भोजन योजना** (Mid-day Meal Programme)—मध्यान्ह भोजन योजना मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। इसके तहत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा एक से पाँच तक के छात्र आते हैं। जहाँ प्रति स्कूल दिवस कम से कम 200 दिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन वाला पका/तैयार गर्म भोजन दिया जाता है।

6. **अन्नपूर्णा योजना** (Annapurna scheme)—यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2000-01 में शुरू की गई थी। इसके अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे असहाय वृद्ध नागरिक आते हैं, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र तो हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किग्रा. खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।

7. **किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम** (Nutritional Programme the Adolescent Girls)—प्रधानमन्त्री के स्वतन्त्रता दिवस 2001 के भाषण के अनुपालन में योजना आयोग द्वारा एक पायलट परियोजना प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बड़े राज्य के दो सर्वाधिक पिछड़े जिले तथा शेष छोटे राज्यों/संघशासित प्रदेशों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों (राज्यों की राजधानियों को छोड़कर) में कुपोषण से पीड़ित किशोरियों (11 से 19 वर्ष) गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के चिन्हित परिवारों को 6 किग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

8. **आपात आहार कार्यक्रम** (Emergency Feeding Programme)—आपात आहार योजना गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वृद्ध, अक्षम तथा बेसहारा लोगों को विपत्ति के समय भोजन मुहैया कराने की एक खाद्य आधारित पहल है। यह योजना मई 2001 में प्रारम्भ की गई थी।

9. **अंत्योदय अन्न योजना** (Antyodaya Anna Yojana)—लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्तियों के लिए 25 दिसम्बर, 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को दो रुपये प्रति किग्रा. गेहूँ तथा तीन रुपये प्रति किग्रा. चावल की अत्यधिक रियायती दर पर 25 किग्रा. खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

पोषण कार्यक्रम

1. प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट,
2. विशेष पोषण कार्यक्रम,
3. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम,
4. समन्वित बाल-विकास कार्यक्रम,
5. मध्यान्ह भोजन योजना,
6. अन्नपूर्णा योजना,
7. किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम,
8. आपात आहार कार्यक्रम,
9. अंत्योदय अन्न योजना,
10. काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना,
11. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
12. ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना,
13. पोषण प्रकोष्ठ।

10. **काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना** (National Food For Work Programme)—काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर, 2004 से की गई। यह योजना देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि इन जिलों में आर्थिक, सामाजिक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के जरिये पूरक दिहाड़ी रोजगार उत्पन्न करके खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।

11. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (Targeted Public Distribution System)—गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अन्तर्गत देश के लगभग छह करोड़ निर्धन परिवारों को लाभान्वित किया जाना था। इन परिवारों को किग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 72 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया।

12. **ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना** (Village Grain Banks Scheme)—जनजातीय ग्रामों में खाद्यान्न बैंकों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की शुरुआत 1996-97 के दौरान जनजातीय कार्य

कार्यों द्वारा 11 राज्यों में की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अकाल के दौरान भुखमरी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है।

(13) **पोषण प्रकोष्ठ**—स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का पोषण प्रकोष्ठ नीति-निर्धारण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, चिकित्सकीय और अर्द्ध चिकित्सकीय कर्मियों के प्रशिक्षण विषय वस्तु से सम्बन्धित हर मामले में तकनीकी सलाह देता है।

यह खाद्य पदार्थों के स्तर और लेबिल, प्रस्तावो, परियोजना मूल्यांकन, अनुसन्धान परियोजनाओं की समीक्षा आदि की तकनीकी जाँच का काम करता है।

ग्यारहवीं योजना में पोषण—पोषण के सम्बन्ध में वांछित लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के अन्त तक कुपोषित बच्चों के अनुपात को आधा करना है। वर्ष 2005 में अधूरे रहे इस लक्ष्य को 2011 के लिए फिर से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुपोषण में कमी लाने सरीखे लक्ष्यों को विकास के उद्देश्यों के अन्तर्गत देखा जाता है, जो गलत है। वस्तुतः सबके लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें उच्च आर्थिक विकास दर से भी आगे ध्यान केन्द्रित करना होगा।

III. शिक्षा
(EDUCATION)

शिक्षा एवं साक्षरता की अवधारणा (Concept of Education and Literacy)—हम साक्षरता से शुरू करते हैं परन्तु साक्षरता ही **शिक्षा** नहीं है। एक निश्चित आयु से ऊपर के लोग जो किसी भी भाषा में किसी सरल परिच्छेद को समझकर पढ़ तथा लिख सकें, उन्हें हम साक्षर कहेंगे, जबकि शिक्षा के द्वारा लोग जटिल परिच्छेद को लिखने, पढ़ने एवं समझने के साथ उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। यही नहीं, साक्षरता लोगों का एकाकी विकास करती है जबकि शिक्षा लोगों का सर्वांगीण विकास करती है।

साक्षरता की तुलना में **शिक्षा अधिक व्यापक** धारणा है क्योंकि इसके अन्तर्गत कई तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे—प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी चिकित्सा एवं कृषि शिक्षा आदि। फलतः **सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं परन्तु सभी साक्षर व्यक्तियों का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है।**

विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में साक्षरता का स्तर अत्यन्त निम्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 64% लोग साक्षर हैं जबकि विकसित देशों में यह अंक 90 से 95 प्रतिशत के बीच है।

शिक्षा का महत्व (Improtance of Education)

मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जबकि यह लोगों की मानसिक क्षमता का विकास करती है। **प्रो. रिचार्ड टी. गिल** के मतानुसार, "शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक विनियोग माना जायेगा।"

शिक्षा व साक्षरता का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट होता है—

1. यह लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाती है।
2. शिक्षा लोगों के व्यवहार और प्रवृत्ति को आधुनिकृत करती है।
3. शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है।
4. यह कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का उत्पादन करती है।
5. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है।
6. साक्षरता एवं शिक्षा से विवाह, जन्म-दर, मृत्यु-दर इत्यादि प्रभावित होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा पर होने वाला व्यय मानवीय साधनों में **एक उत्पादक व्यय है।**

भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास (Growth of Education Sector in India)

1976 से पूर्व शिक्षा पूर्णरूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था परन्तु संविधान द्वारा 1976 में किये गये जिस संशोधन से केन्द्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुतर भार भी स्वीकार किया है।